भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 1095**

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2013 को दिया गया)

**कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को अंशदान**

**1095. श्री सी.पी. नारायणन:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले अंशदान को प्रशासित करने के संबंध में कानून में कोई उपबंध विद्यमान है;
2. यदि हां, तो क्या कंपनियों को इसको लेखा-परीक्षा हेतु प्रस्तुत तुलन-पत्र में और विभिन्न प्राधिकारियों को दिखाना पड़ता है; और
3. क्या कंपनियों के संगठनों द्वारा की गई मांगों के आधार पर इसको समाप्त करने की कोई पहल की गई है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सचिन पायलट)**

**(क) से (ग):** कंपनी अघिनियम की धारा 182 कंपनियों को किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि का योगदान उक्त धारा में उल्लिखित सीमाओं और प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार करने की अनुमति देती है। हाल ही में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसरण में गठित ‘निर्वाचक ट्रस्ट कंपनियों’ के माध्यम से किसी राजनैतिक दल अथवा दलों को अंशदान देने वाली कंपनियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी लेखा-बहियों में उसी राशि को दर्शाएं जो उन्होंने निर्वाचक ट्रस्ट कंपनी को अंशदान के रूप में दी है। तथापि निर्वाचक ट्रस्ट कंपनियों को उनके माध्यम से किसी राजनैतिक दल तक पहुंची धनराशि को धारा 182(3) में यथा-विहित ढंग के अनुसार दर्शाना होता है।

\*\*\*\*\*